भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3756
उत्तर देने की तारीख : 12.08.2025

अनुसूचित जातियों को विदेशी छात्रवृत्ति

3756. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जातियों (अ.जा.) को विदेशों में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशी छात्रवृत्ति मिल रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दस वर्षों के दौरान कुल कितने छात्रों को विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है;
(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति हेतु सीटों की कुल संख्या में लम्बे समय से वृद्धि नहीं हुई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के संबंधित वर्गों के लिए उपलब्ध विदेशी छात्रवृत्ति के बारे में उनके लिए किसी जागरूकता कार्यक्रम पर विचार किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति आदि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना का संचालन करता है, ताकि वे विदेश में शीर्ष 500 क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) रैंकिंग के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन करके उच्च शिक्षा जैसे कि मास्टर डिग्री या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी) प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 125 स्लॉट आवंटित किए जाते हैं। इनमें से 115 स्लॉट अनुसूचित जातियों के लिए, 06 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए और 04 भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों के लिए आरक्षित हैं।

विगत दस वर्षों के दौरान विदेशों में अध्ययन के लिए एनओएस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): वर्ष 2021-22 में एनओएस योजना के तहत सीटों की कुल संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई।

(ङ): छात्रों के बीच एनओएस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, और योजना का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र भेजे जाते हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3756, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

विगत दस वर्षों के दौरान विदेशों में अध्ययन के लिए एनओएस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या:

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों (विदेश गए) की संख्या
1	2015-16	20
2	2016-17	46
3	2017-18	64
4	2018-19	45
5	2019-20	41
6	2020-21	71
7	2021-22	98
8	2022-23	98
9	2023-24	114
10	2024-25	79

*****